राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण अकादमी
NATIONAL ACADEMY FOR TRAINING & RESEARCH IN SOCIAL SECURITY
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम मंत्रालय भारत सरकार
Employees' Provident Fund Organisation(Ministry of Labour, Govt. of India)
30-31, इंस्टीट्यूशनल एरिया,जनकपुरी, नई दिल्ली 110 058
30-31, Institutional Area, Janak Puri, New Delhi-110058
दूरभाष-28521199 फैक्स-28524079
Phone: 28521199 Fax: 28524079
website- www.natrss.gov.in
Email.natrss@hotmail.com

सं.13/ 15/2011-12/नाटरस/ 2655 दिनांक 18.8.2011

सेवा में

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्र.से. प्र) मुख्यालय
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त- I
सभी क्षेत्रीय कार्यालय

विषय- शुद्धि पत्र (Corrigendum) 'संपर्क अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण '(Training for Liaison Officer) पर दिनांक 12 से 14 सितम्बर 2011 तक होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में - नामांकन भेजने से संबंधित ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 05.08.2011 का अवलोकन करें ।राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण अकादमी (नाटरस) अपने परिसर 30-31 , इंस्टीट्यूशनल एरिया, डी ब्लॉक, जनकपुरी, नई दिल्ली -110058 में आयोजित होने वाला 'संपर्क अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण '(Training for Liaison Officer) कार्यक्रम दिनांक 12 से 16 सितम्बर 2011 के जगह अब दिनांक 12 से 14 सितम्बर 2011 तक आयोजित किया जा रहा है । इस पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की जाएगी

- सेवा में आरक्षण से संबंधित संविधानिक प्रावधान का विवरण ।
- आरक्षण आदेश के कार्यक्षेत्र तथा प्रयोज्यता को इंगित करना ।
- संपर्क अधिकारियों की भूमिका तथा कार्य ।
- सीधी भर्ती एवं पदोन्नत मामलों में आरक्षण की कार्रवाई ।
- डी रिजर्वेशन ,कैरी फार्वर्ड, बैकलॉग मामलों की कार्रवाई ।
- आरक्षण रोस्टर तैयार करना, लागू करना एवं उसका रख-रखाव ।
- नियुक्ति में विभिन्न रिआयतों के संबंध में प्रावधानों का विवरण ।

आपसे अनुरोध किया जाता है कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आप अपने क्षेत्र के पदनामित संपर्क अधिकारी (Designated Liaison Officer) को ही नामांकित करें ।

नामांकित अधिकारी का नाम दिनांक 05.09.2011 तक सूचित करें ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ होने से एक दिन पहले हॉस्टल में आवास उपलब्ध होगा तथा प्रतिभागी प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हॉस्टल में एक दिन से अधिक ठहर नहीं सकते। ठहरने की अवधि एक दिन से अधिक बढ़ाने के लिए निदेशक,नाटरस से विशेष अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

आपसे अनुरोध है कि नामित अधिकारी को इस निदेश के साथ कार्यमुक्त करें कि वह 12.09.2011 को प्रात: 9.30 (पूर्वाह्न) नाटरस में रिपोर्ट करें।

भवदीया

रीना मंडल

(रीना मंडल)

पाठ्यक्रम निदेशक